फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जमवारामगढ, जिला जयपुर

रामसिंह बनाम सरकार

किस्म मुकदमा नं0 193 /2024

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशे
	11/11/25	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उप0। वकील उभय पक्षों की बहस प्र0 पत्र 212 RT Act पर सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 24/11/25 को पेश हो। [signature] सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जमवारामगढ़ जयपुर	
	24/11/25	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उप0। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 RT Act में अंकित तथ्यों एव लिखित में तथ्यो को दोहराते हुऐ कहा कि प्रार्थीगण ग्राम जमवाघार तहसील आंधी जिला जयपुर में स्थित भूमि ख0न0 31,32,33 की खातेदारी भूमि है इसके लगवा प्रार्थीगण के बुजर्गो की कब्जे शुदा की खातेदारी कृषि भूमि ख0न0 28 रकबा 92.3600 हे0 जिसमें से 91.0500 हे0 गै0मु0 पहाड़ एवं 1.3100 हे0 बंजड़ भूमि, ख0न0 29 रकबा 0.0100 हे0 गै0मु0 नाला, ख0न0 30 रकबा 0.5900 हे0 किस्म बंजड़ दर्ज रिकार्ड है ख0न0 28,29,30 के साबिक ख0न0 24,25,26 है। एव पूर्व के साबिक ख0न0 58,59,59/2 60 जो संवत 2008 से 2027 की [signature] सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जमवारामगढ़ जयपुर	

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) जमवारामगढ़,जिला जयपुर

रामसिंह बनाम सरकार

मुकदमा नम्बर 193/2024

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	प्रार्थीगण के पक्ष में राजस्व रिकार्ड में राजस्व रिकार्ड में संशोधन किये जाने के आदेश पारित नहीं किया जबकि प्रार्थीगण के पक्ष में राजस्व रिकार्ड में संशोधन किये जाने में कोई बाधा नहीं है इसलिए उक्त वाद पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक है। अतः प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थीगण को ता-फैसला वाद पत्र तक के लिये जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वाद ग्रस्त आराजीयात जिनका वर्णन प्रार्थना पत्र के मद सं० 2 में है जिसके वर्तमान ख०नं० 28,29,30 वाके ग्राम जमवार में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करे प्रार्थीगण को बेदखल नहीं करें। प्रकरण ~~में~~ अप्रार्थी सं० 2 व 3 की ओर एड० श्री रितेश शर्मा ने बहस में प्रस्तुत जवाब में अंकित तथ्यों की ताईद करते हुऐ कहा कि विवादित भूमि राज्य सरकार की अधिसूचना के द्वारा वन खण्ड वामन वाटी संख्या 63 बी के द्वारा वन भूमि अधिसूचित की जा चुकी है एवं उक्त भूमि प्रारम्भ से ही वन भूमि होने के कारण प्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि में किसी भी प्रकार के हक व अधिकार प्राप्त नहीं होते है इस कारण प्रार्थीगण उक्त वर्णित भूमि में	

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) जमवारामगढ़ (जयपुर)

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) जमवारामगढ़,जिला जयपुर

मुकदमा नम्बर 193/2024

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		प्रबन्ध सैटलमेन्ट खतौनी में दर्ज है जिस पर प्रार्थीगण के पूर्वज बतौर खातेदार काबिज थे और पूर्वजों के पश्चात् प्रार्थीगण काबिज काश्तकार है उक्त वादग्रस्त आराजी के पूर्व साबिक ख०नं० 58,59,59/2,60 के राजस्व रिकार्ड में सवंत 2008 से 2027 के भू-प्रबन्ध सैटलमेन्ट खतौनी में खातेदार के रूप में जंगलात शिकार खाना व कब्जाधार काश्तकार के रूप में प्रार्थीगण के पूर्वज स्व० महादेव पुत्र रामचन्द (चन्दा) का नाम दर्ज है तथा प्रार्थीगण के पूर्वज राज सवाई जयपुर के समय से ही उक्त वादग्रस्त आराजी पर काबिज खातेदार व काश्तकार चले आ रहे है प्रार्थी ख०नं० 25 व 26 रकबा 7 बीघा ग्राम जमवाधार काफी अर्से से काश्त करता चला आ रहा है उक्त खाते का लगभग 5 बीघा भूमि वन सीमा में आ गई जो कि पहले यह रकबा H.H जयपुर के कब्जे में था। प्रार्थीगण के पूर्वजो स्व० महादेव के पक्ष में सहायक वन बन्दोबस्त अधिकारी (प्लान) जयपुर के द्वारा दिनांक 08/10/1980 को निर्णय पारित कर वादग्रस्त आराजीयात वाके ग्राम जमवाधार के ख०नं० 25 व 26 की आराजी 7 बीघा को वन खण्ड वामनवारी 63 बी की सीमा से पृथक किया गया। राजस्व रिकार्ड में दुरस्ती हेतु तहसीलदार को कहा परन्तु कोई कार्यवाही नहीं की गई है जबकि

सहायक कलेक्टर (फा...

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) जमवारामगढ़,जिला जयपुर

राजकिशोर बनाम सरकार

मुकदमा नम्बर 193/2024

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	किसी भी प्रकार का अनुतोष पाने के अधिकारी नहीं है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया है जो ख0नं0 28,29,30 भूमि कृषि भूमि न होकर वन भूमि होने से RT Act के तहत सुनवाई नहीं की जा सकती है RT Act की धारा 16 की उप धारा में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि किसी सरकारी वन के सीमा-चिन्हों के भीतर स्थित भूमि, वन भूमियों में अधिकारों का सृजन कानूनन निषेध है माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपने निर्णय टी एन गोदावर्मन बनाम भारत संघ दिनांक 12-12-1996 में यह प्रतिपादित किया कि एक बार कोई काश्त भूमि वन विभाग के नाम दर्ज हो जाती है तो पुनः काश्त भूमि घोषित नहीं की जा सकती। वन भूमि के सम्बन्ध में वन बन्दोबस्त अधिकारी ने अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर निर्णय पारित किया है किसी वन भूमि को अलग करने का आदेश नहीं दे सकता। विवादित भूमि ख0नं0 28,29,30 वन भूमि है उक्त भूमियां महकमा जंगलात है उक्त भूमिया का मालिक वन विभाग है इसलिए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 RT Act को खारिज किया जावे वकील उभय पक्षों की बहस सुनी व पत्रावली का अवलोकन करने पर यह स्पष्ट होता है कि विवादित भूमि ख0नं0 28,29,30	

सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रैक)
जमवारामगढ़ जयपुर

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) जमवारामगढ,जिला जयपुर

रामसिंह बनाम सरकार

मुकदमा नम्बर 193/2024

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		वन विभाग के नाम से दर्ज है रिकॉर्ड खातेदार को कार्यवाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना उचित नहीं समझते है अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 RT Act को खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।
		सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) जमवारामगढ़ जयपुर